15

कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त,छत्तीसगढ़,रायपुर

//परिपत्र//

क्रमांक/वाकआ/तक./2011/ 6470 रायपुर, दिनांक 13-10-11

प्रति,

समस्त अपर आयुक्त,
समस्त उपायुक्त,
समस्त सहायक आयुक्त,
समस्त वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़

विषय :- Online सी फार्म जारी करने बाबत्।

===000===

छ.ग. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा केन्द्रीय विकय कर अधिनियम 1956 की धारा 13 की उपधारा (3), (4) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ विक्रयकर (केन्द्रीय) नियम 1957 के नियम 8 के उपनियम (1-ए) के खण्ड ए में संशोधन कर केन्द्रीय अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसाईयों को TINXSYS के माध्यम से आनलाईन सी फार्म जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। आन लाईन सी फार्म जारी करने की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1. **व्यवसायी/शासकीय विभाग या उपक्रम द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया :-**

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 एवं केन्द्रीय विकय कर अधिनियम की धारा 7 के अधीन पंजीयत व्यवसायी निःशुल्क आनलाईन सी फार्म प्राप्त करने के पात्र होंगे। व्यवसायी को आन लाईन सी फार्म प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/comtax के e-services में लॉगिन करना होगा।
- पंजीयत व्यवसायी द्वारा पूर्व में ई-रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु पासवर्ड प्राप्त किया हो तो उन्हें नये पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। यदि पूर्व में पासवर्ड प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पासवर्ड हेतु आवेदन करने पर पासवर्ड तुरंत आन लाईन प्राप्त होगा।
- इसी पासवर्ड के आधार पर सी फार्म प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर शासकीय विभाग/शासकीय उपकम के द्वारा सी फार्म प्राप्त करने हेतु आंशिक (partial) अनिवार्य जानकारी टिन नंबर अंकित करना होगा।
- अन्य श्रेणी के व्यवसाईयों को सी फार्म प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण जानकारी जैसे- बीजक संख्या, दिनांक, कय मूल्य एवं वस्तुओं का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि केता व्यवसायी को बीजक प्राप्त नहीं हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता व्यवसायी से बीजक कमांक, कय मूल्य तथा वस्तुओं का विवरण प्राप्त कर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

कमशः ....

- व्यवसायी द्वारा आवेदन में एक से अधिक वस्तुएँ दर्ज करने हेतु एक्सेल–शीट में सभी वस्तुओं का इन्द्राज करना आवश्यक होगा।
- उपरोक्तानुसार सभी जानकारी पूर्ण कर ऑनलाईन सबमिट करने पर आवेदन की प्रकिया पूर्ण होगी।
- स्वीकृत आवेदन पत्र पर जारी सी फार्म का प्रिंटआऊट व्यवसायी स्वयं प्राप्त कर सकता है। यदि व्यवसायी चाहे तो संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी से संबंधित सी फार्म की प्रिंटआऊट की मांग कर सकता है।

2. <u>कार्यालय द्वारा की जाने वाली प्रकिया :–</u>

- व्यवसायी द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात वाणिज्यिक कर अधिकारी अपनी लॉगिन (Login) आईडी से विभागीय ई–पोर्टल में जाकर ऑनलाईन सी फार्म का चयन करेगा। वाणिज्यिक कर अधिकारी तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत आवेदन में आवश्यक जांच की कार्यवाही कर आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेगा। अस्वीकृति की स्थिति में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा यथोचित कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- यदि व्यवसायी द्वारा संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी से संबंधित सी–फार्म की प्रिंट आउट की मांग की जाती है तो वाणिज्यिक कर अधिकारी तत्काल प्रदान करेंगे।
- सी–फार्म की प्रिंटआऊट में कार्यालयीन सील अथवा हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।

(जी.एस. मिश्रा)
आयुक्त, वाणिज्यिक कर
छत्तीसगढ़,रायपुर